रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-111/2018/4083/22-2-2017-17(120)/2015

लखनऊ: दिनांक: 24 जनवरी, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला कारागार, अलीगढ़** के सिद्धदोष **बन्दी मो0 हनीफ उर्फ हस्सू पहलवान (बन्दी संख्या-892/11) पुत्र श्री शब्बू पहलवान, निवासी-सराय मियाँ, थाना-देहली गेट जनपद-अलीगढ़,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-635/2007** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34, 307/34** के अधीन **दिनांक 05.12.2011** को **मा0 सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-111/2018/4083(1)/22-2-2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in